HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14926/2026
CNR: RJHC020920302026 | URN: CRLMB / 27481U / 2026

1. Sohail S/o Sabu, Aged About 19 Years, R/o Jurhera, Police Station Jurhera, District Deeg. (At Present Accused Is Confined In District Jail Deeg).
2. Chand Ikrar S/o Ismail, Aged About 28 Years, R/o Naugaon, Police Station Jurhera, District Deeg. (At Present Accused Is Confined In District Jail Deeg).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14927/2026
CNR: RJHC020920272026 | URN: CRLMB / 27482U / 2026

1. Parvej S/o Asru, Aged About 19 Years, R/o Jurhera, Police Station Jurhera, District Deeg. (At Present Accused Is Confined In District Jail Deeg).
2. Alijan S/o Sorab, Aged About 30 Years, R/o Kharbad, Police Station Pahari, District Deeg. (At Present Accused Is Confined In District Jail Deeg).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Arafat Hussain, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

26/11/2026

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत

Digitally signed by ARUN KUMAR MITTAL
Date: 2026.11.26 16:39:36 IST

पुलिस थाना–जुरहरा, डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**313/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 317(5), 303(2), 308(2), 313, 112(2), 61(2)(a) भारतीय न्याय संहिता तथा 66डी आई.टी. एक्ट में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होकर एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में प्रस्तुत हुए हैं, अतः उक्त दोनों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें इस प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। वे दिनांक 21.08.2026 से अभिरक्षा में हैं, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, इसलिए प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण पर साईबर फ्रॉड से संबंधित आरोप है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, अभियुक्तगण दिनांक 21.08.2026 से अभिरक्षा में हैं तथा विचारण में समय लगने की संभावना है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **1. सोहेल पुत्र साबू, 2. चांद इकरार पुत्र इस्माईल, 3. परवेज पुत्र असरू तथा 4. अलीजान पुत्र शौराब** की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा

पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/26-27/Mittal